न्यायालय तहसीलदार बयाना जिला भरतपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री गिर्राज प्रसाद बंसल आर.टी.एस तहसीलदार बयाना

किस्म मुकदमा – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मिसल संख्या	तारीख रजू	निर्णय दिनांक
59 / 19	18 / 09 / 19	24 / 09 / 19

निर्णय

राजस्थान सरकार

बनाम

श्री राजेश पुत्र रामचरन जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना जिला भरतपुर

पत्रावली आज मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खेडली गडासिया ने भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि **श्री राजेश पुत्र रामचरन जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना** ने ग्राम **खेडली गडासिया की चारागाह** भूमि आराजी खसरा नम्बर **1688 में कुल 2.82 हैक्टे में से रकबा 0.20** हैक्टेयर भूमि पर फसल खरीफ सम्वत 2076 में अनाधिकृत रूप से चरी **की फसल कर** अतिक्रमण कर लिया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को भूराजस्व अधिनियम 1956 के नियम 91 (3) के तहत दिनांक 24 / 09 / 19 को मुकाम तहसील कार्यालय बयाना में उपस्थित होने हेतु नोटिस जारी कर, नोटिस की विधिवत तामील कराई गई। नियत तिथि को गैर सायल ने उपस्थित होकर अपना जबाब पेश किया किन्तु अतिक्रमण के सम्बन्ध में गैरसायल द्वारा कोई भी ऐसा साक्ष्य एवं सबूत पेश नहीं किया जिससे यह माना जा सके कि उसके द्वारा किया गया अतिक्रमण वैधानिक है।

पश्चातवर्ती अतिक्रमी के सम्बन्ध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट शामिल पत्रावली है। पटवारी हल्का ने अपनी रिर्पोट में गैर सायल को फसल खरीफ सम्वत 2076 में पश्चातवर्ती अतिक्रमी बताया है। गैर सायल अतिक्रमण करने का आदी है एवं अब भी अपना अतिक्रमण (कब्जा) छोडने को तैयार नही है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि गैर सायल ने फसल खरीफ सम्वत 2076 में उक्त राजकीय भूमि पर अवैध कब्जा करके भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का उल्लघंन किया है इसलिये गैर सायल को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित किया जाता है। गैर सायल द्वारा रवि सम्वत 2075 में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अतिक्रमण

था जिसकी पुष्टि इसी न्यायालय के मुकदमा नम्बर 94/19 से होती है। गैर सायल को सम्वत 2075 में बेदखल किया गया था फिर भी गैर सायल ने पुनः अतिक्रमण कर लिया कि गैर सायल बार बार अतिक्रमण करने का आदी है जो पश्चातवर्ती अतिचारी की तारीफ में आता है इसके अतिरिक्त अतिक्रमित आराजी की किस्म चारागाह है पशुओं के चारे के उपयोग की भूमि है। गैर सायल ने गाँव के चारागाह की भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिचार कर अपराध किया है। अतिक्रमित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है। ऐसी स्थिति में गैर सायल किसी भी प्रकार की सहानुभूति का पात्र नही रहता है। बल्कि ऐसे अतिचारी के विरूद्ध प्रभावी एवं ठोस कार्यवाही नही की गई तो अन्य लोग भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करेगें और अतिक्रमण को बढावा व प्रोत्साहन मिलेगा।

अतः फसल खरीफ में अतिचारी राजेश पुत्र रामचरन जाति जाट निवासी खेडली गडासिया तहसील बयाना का ग्राम खेडली गडासिया की चारागाह भूमि खसरा नम्बर 1688 में रकवा 0.20 है0 भूमि पर अतिक्रमण सिद्ध होने से गैर सायल पर लगान राशि 3.20 रूपये का पचास गुना राशि 160 रूपये की शास्ती आरोपित की जाकर मौके से बेदखल कर फसल चरी नीलाम करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही पश्चातवर्ती अतिचारी होने के कारण 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया जाता है।

निर्णय अनुसार बेदखली फसल नीलामी एवं वसूली हेतु सम्बन्धित भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी हल्का को तथा मांग कायामी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार बयाना को लिखा जावे। गैर सायल के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर वास्ते तामील सम्बन्धित थानाधिकारी को भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तामील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 24.09.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना

इस पत्रावली की मांग कायमी
खा. रै. सं. 04 के पेज नं. 11
दिनांक 11/10/19 को वर्ष 2019-20 में
पेनल्टी रु. 160 फसल नीलामी
रु. .... की जा चुकी है।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बयाना